

पत्रांक:- 1169

/पी.एम.ए.वाई.-प्रकोष्ठ/2020 ( )

दिनांक:- 01-06-2020

सेवा में,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।

डायरी सं०..... 622  
पत्रावली सं० P.M.A.Y. अंक/3  
दिनांक..... 21/3/20

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-20/2020/532/आठ-1-20-80 विविध/2010 दिनांक 18 मार्च, 2020 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा भवनों की सीलिंग कास्ट रू० 4.50 लाख से बढ़ाकर पुनरीक्षित रू० 6.00 प्रति भवन निर्धारित की गई है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः रू० 1.50 लाख एवं रू० 1.00 लाख कुल रू० 2.50 लाख की सब्सिडी पूर्ववत् ही रखी गई है। शेष धनराशि रू० 3.50 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जानी है।

विषयगत योजना के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाओं के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त (म०) द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए आगामी सप्ताह में पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तालिका-क

क्र०सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्माणाधीन/निविदा स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	गोण्डा	528	132	396
2	लखनऊ (मोहनलालगंज)	1344	624	720
3	लखनऊ (सरोजनीनगर)	752	144	608
			कुल	1724

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का पंजीकरण बढ़ी हुई लागत पर खोले जाने हेतु परियोजना का रेटा में पंजीयन रू० 6.00 लाख प्रति भवन पर कराते हुए परिषद द्वारा रू० 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण खोले जायें।

तालिका-ख

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	रेटा में रू० 4.50 लाख पर हुए पंजीयन एवं पूर्व में खोले गये पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या	पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	बहराइच	192	16	48
2	इटावा	192	19	48
3	हरदोई	528	01	92
4	उन्नाव	240	08	48
5	गाजियाबाद	6000	71	624
6	मुरादाबाद	528	16	92
7	मुरादाबाद	1200	46	144
			कुल	1096

उक्त परियोजनाओं में काफी कम संख्या में पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिसके दृष्टिगत पूर्व में रू० 4.50 लाख की लागत पर हुए पंजीकरण के आवेदकों की पंजीकरण धनराशि वापस करते हुए रेटा में रू० 4.50 लाख पर हुए पुराने पंजीयन को निरस्त कराया जाये तथा अब बढ़ी हुई लागत रू० 6.00 लाख पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का रेटा में नया पंजीयन कराया जाये। तदनुसार लाभार्थियों की संख्या हेतु परिषद द्वारा रू० 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर नये पंजीकरण खोले जायें।

तालिका-ग

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4
1	अम्बेडकरनगर	240	48
2	लखनऊ (अवध विहार)	576	96
3	फतेहपुर	624	96
4	मेरठ	816	96
5	बांदा	240	48
6	कानपुर देहात	480	48
7	कौशाम्बी	144	48
8	बाराबंकी	288	48
9	कन्नौज (छिबरामऊ)	96	48
10	मऊ	192	48
11	हाथरस	144	48
12	रायबरेली	528	96
13	फिरोजाबाद	128	48
14	मैनपुरी	528	96
15	बलरामपुर	288	48
		कुल	960
		योग (क+ख+ग)	3780

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत भवनों के सापेक्ष प्रथम चरण में पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों के अनुसार बढ़ी हुई लागत रू० 6.00 लाख पर रेरा में पंजीयन कराते हुए लाभार्थियों की संख्या हेतु पंजीकरण खोले जायें।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अपने वृत्त के अधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों का रेरा में तत्काल पंजीयन कराते हुए रेरा पंजीयन संख्या से पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत परियोजनाओं के पंजीकरण परिषद द्वारा यथाशीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में पंजीकरण अनुभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही करायी जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए.के. शुक्ला)  
मुख्य अभियन्ता

[0संख्या:-संख्या एवं दिनांक तदैव।

तिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सचिव, आवास आयुक्त को आवास आयुक्त (म०) के अवलोकनार्थ।
- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- संयुक्त आवास आयुक्त (पंजीकरण) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।

मुख्य अभियन्ता